किया जाता है । इन पहलुओं से संबंधित सूचना श्रम मंत्रालय में नहीं रखी जाती ।

खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिदार कल्याण के लिए उपबंध शामिल हैं । खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खान सुरक्षा के संबंध में सांविधिक उपबंधों का प्रवर्तन करने के उद्देश्य से खानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ उक्त खान अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई करते हैं । खान सुरक्षा महानिदेशक सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए खान प्रबंधनों को समय-समय पर परिपत्रों द्वारा दिशा निर्देश भी जारी करते हैं ।

असंगठित खेतिहर मजदूरों के लिए योजना

4779. श्री विनोद शर्मा :
श्री राजूभाई ए. परमार:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1992 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "ग्रोइंग इम्पोरटैन्स आफ फार्म वर्कर्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में बड़े पैमाने पर असंगठित खेतिहर मजदूरों को अनेक मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के अधीन असंगठित किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो मार्च, 1992 तक देश में कुल कितने खेतिहर मजदूर इन श्रमिक संघों द्वारा संगठित किए गए हैं ;

(घ) क्या मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन असंगठित मजदूरों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना तैयार की है, ताकि वे अपने आपको संगठित कर सकें तथा अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास कर सकें ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Commission for Agricultural Labour

4780. SHRI SHIV PRATAP MISH-RA. Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

fa) whether it is a fact that Government propose to set up a separate commission for agricultural labourers; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) and (b) No, Sir. In view of the fact that National Commission on Rural Labour, set up in August, 1987, sub. mitted its report in July, 1991 the eppojntmenlt pf another commission is not considered necessary.

ILO's advice to check labour risk

4781. SHRI MOHINDER SINGH LATHER- Will the Minister of LABOUR be pleasied to 'st&te:

(a) whether "it is a fact that a team of the International Labour Orgahisa-ion has advised to formulate compre. hensive scheme to check labour risks in India;

(b) jf so, the details of the suggestions made by the International Labour Organisation in this rgeard; and